



दिनांक 25.01.2025

प्रेस विज्ञप्ति 37 / 2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद बुलन्दशहर/थाना नरसैना

- पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार

- 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद

दिनांक: 25.01.2025 को थाना नरसैना पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम बंशी से बुगरासी रोड पर बदमाश की घेराबन्दी की गयी तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त मोनिश उर्फ टुच्ची घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना नरसैना पर पंजीकृत हत्या के अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध जनपद हापुड़, बुलन्दशहर के विभिन्न थानों पर हत्या, हत्या का प्रयास, चोरी, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 13 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना नरसैना पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—मोनिश उर्फ टुच्ची निवासी बंशीबांगर थाना नरसैना जनपद बुलन्दशहर।

बरामदगी

1—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि।

जनपद बरेली / थाना इज्जतनगर

- पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार

- 01 मोबाइल फोन

- 01 चोरी की मोटर साइकिल

- 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद

दिनांक: 25.01.2025 को थाना इज्जतनगर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान वैसपुर पुलिया के पास अभियुक्त को रोकने का प्रयास किया गया तो अभियुक्त द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी, जिसमें 01 उपनिरीक्षक व 01 आरक्षी घायल हो गये। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त कलैक्टर घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 01 मोबाइल फोन, 01 चोरी की मोटर साइकिल, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना क्योलडिया जनपद बरेली पर पंजीकृत अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध जनपद बरेली के विभिन्न थानों पर हत्या, हत्या का प्रयास, चोरी, आर्म्स एक्ट, एन0एस0ए0, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 25 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना इज्जतनगर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—कलैक्टर निवासी ग्राम कमलापुर थाना क्योलडिया जनपद बरेली।

बरामदगी

1—01 मोबाइल फोन।

2—01 चोरी की मोटर साइकिल।

3—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

जनपद शाहजहांपुर / निगोही

● 25 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक: 25.01.2025 को थाना निगोही व काइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर डालमिया चीनी मिल के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त चन्द्रभान उर्फ छोटे लल्ला को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना निगोही पर पंजीकृत अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना निगोही पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—चन्द्रभान उर्फ छोटे लल्ला निवासी ग्राम गिरगिचा थाना निगोही जनपद शाहजहांपुर।

जनपद मीरजापुर / थाना राजगढ़

● 15 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक: 25.01.2025 को थाना राजगढ़ पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर नदिहार बाजार के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त दुलारे को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना अहरौरा जनपद मीरजापुर पर पंजीकृत गैंगेस्टर एक्ट के अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 15 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना राजगढ़ पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—दुलारे निवासी चौधरना थाना अधौरा जनपद भभुआ, बिहार।

जनपद मुजफ्फरनगर / थाना खालापार

- पुलिस कार्यवाही में 05 अभियुक्त गिरफ्तार

- 05 मोबाइल फोन

- 01 कार

- 02 दो पहिया वाहन

- 03 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित / खोखा कारतूस आदि बरामद

दिनांक: 24 / 25.01.2025 की रात्रि थाना खालापार पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर शामली रोड पर वहलना कट पुल के पास बदमाशों की घेराबन्दी की गयी तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1—मन्शाद उर्फ सोना 2—विसार 3—शादाब उर्फ चिडा घायल हो गये, जिन्हें अभियुक्त 4—रिजवान उर्फ रिज्जू 5—इकरार उर्फ कालिया सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे / निशादेही से 05 मोबाइल फोन, 01 कार, 02 दो पहिया वाहन, 03 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित / खोखा कारतूस आदि बरामद हुये। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त मन्शाद उर्फ सोना के विरुद्ध जनपद मुजफ्फरनगर, शामली, कमिशनरेट गाजियाबाद के विभिन्न थानों पर चोरी, हत्या का प्रयास, आर्स एकट, सीएस एकट, गैंगस्टर एकट आदि के 16 अभियोग, अभियुक्त विसार के विरुद्ध जनपद मुजफ्फरनगर के विभिन्न थानों पर हत्या का प्रयास, चोरी, एनडीपीएस एकट, आर्स एकट, गैंगस्टर एकट आदि के 01 दर्जन अभियोग व अभियुक्त शादाब उर्फ चिडा के विरुद्ध जनपद मुजफ्फरनगर के विभिन्न थानों पर धोखाधड़ी, आर्स एकट, सीएस एकट, गैंगस्टर एकट आदि के 09 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना खालापार पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—मन्शाद उर्फ सोना निवासी लिकडा पट्टी सुजडू थाना खालापार जनपद मुजफ्फरनगर।

2—विसार निवासी सरवट थाना सिविल लाइन जनपद मुजफ्फरनगर।

3—शादाब उर्फ चिडा निवासी लिकडा पट्टी सुजडू थाना खालापार जनपद मुजफ्फरनगर।

4—रिजवान उर्फ रिज्जू निवासी लिकडा पट्टी सुजडू थाना खालापार जनपद मुजफ्फरनगर।

5—इकरार उर्फ कालिया निवासी गहराबाग थाना खालापार जनपद मुजफ्फरनगर।

बरामदगी

1—05 मोबाइल फोन।

2—01 कार।

3—02 दो पहिया वाहन।

4—03 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि।

जनपद मीरजापुर/थाना कोतवाली देहात

● 15 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक: 25.01.2025 को थाना कोतवाली देहात पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर रोडवेज बस स्टैण्ड के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त मुंशी को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना कोतवाली देहात पर पंजीकृत अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 15 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—मुंशी निवासी चेरूईराम थाना कोतवाली देहात जनपद मीरजापुर।

जनपद हरदोई / थाना कछौना

- 02 अभियुक्त गिरफ्तार
- चोरी के 03 किलोग्राम (सफेद धातु) के आभूषण
- चोरी के 90 हजार रुपये नगद बरामद

दिनांक: 25.01.2025 को थाना कछौना पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र से 02 अभियुक्तों 1—पर्वत 2—बाबू को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के 03 किलोग्राम (सफेद धातु) के आभूषण, 90 हजार रुपये नगद बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि थाना कछौना क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरों द्वारा चोरी की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना कछौना पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्त से बरामद आभूषण, रुपये चोरी की घटना से सम्बन्धित हैं। गिरफ्तार अभियुक्त पर्वत के विरुद्ध जनपद चंदौली, शाहजहाँपुर, बस्ती के विभिन्न थानों पर चोरी, हत्या का प्रयास, आर्स एकट, गैंगेस्टर एकट आदि के 08 अभियोग व अभियुक्त बाबू के विरुद्ध जनपद चंदौली के विभिन्न थानों पर चोरी, आर्स एकट, गैंगेस्टर एकट आदि के 07 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना कछौना पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—पर्वत निवासी मिलकिया थाना निगोही जनपद शांहजहाँपुर।

2—बाबू निवासी मिलकिया थाना निगोही जनपद शांहजहाँपुर।

बरामदगी

1—चोरी के 03 किलोग्राम (सफेद धातु) के आभूषण।

2—चोरी के 90 हजार रुपये नगद।

एसटीएफः लगभग 14 वर्ष से फरार व थाना नालासोपारा, जिला थाणे शहर, महाराष्ट्र में

पंजीकृत मु0अ0सं0-271/2011 धारा- 302 भादवि में वांछित अभियुक्त जब्बाद जब्बार

सैय्यद कमिशनरेट लखनऊ से गिरफ्तार।

दिनांक 25-01-2025 को एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को थाना नालासोपारा, जिला थाणे शहर, महाराष्ट्र में पंजीकृत मु0अ0सं0-271 / 2011 धारा- 302 भादवि में वांछित व लगभग 14 वर्ष से फरार अभियुक्त जब्बाद जब्बार सैय्यद को कमिशनरेट लखनऊ से गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

अभियुक्त का विवरण:-

1— जब्बाद जब्बार सैय्यद पुत्र जब्बार सैय्यद निवासी साईं द्विका चाल तुलसी नगर कारगिल टेकडी संतोष भवन नालासोपारा पूर्व जनपद थाणे महाराष्ट्र। हाल पता-ग्राम नौहाई खुर्द थाना आसीवन जनपद उन्नाव।

गिरफ्तारी का स्थान दिनांक व समय:-

इन्दिरा नगर मेट्रो रस्टेशन के नीचे मुख्यमार्ग थानाक्षेत्र गाजीपुर कमिशनरेट लखनऊ। दिनांक 25.01.2025 समय लगभग 11:45 प्रातः बजे।

थाना नालासोपारा, जिला थाणे शहर, महाराष्ट्र में पंजीकृत मु0अ0सं0-271 / 2011 धारा - 302 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त जब्बाद जब्बार सैय्यद की गिरफ्तारी हेतु सेण्ट्रल यूनिट काइम ब्रांच महाराष्ट्र पुलिस द्वारा एस0टी0एफ0 से सहयोग मांगा गया, जिसपर पुलिस उपाधीक्षक श्री प्रमेश कुमार शुक्ल के पर्यवेक्षण में उ0नि0 श्री जावेद आलम सिद्दीकी, उ0नि0 चन्द्र प्रकाश मिश्र, मु0आ0 मुनेन्द्र सिंह, मु0आ0 मृत्युंजय सिंह, एस0टी0एफ0 मुख्यालय की टीम, द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

दिनांक 25-01-2025 को उ0नि0 श्री जावेद आलम सिद्दीकी, उ0नि0 चन्द्र प्रकाश मिश्र, मु0आ0 मुनेन्द्र सिंह, मु0आ0 मृत्युंजय सिंह, एस0टी0एफ0 मुख्यालय की टीम, एवं एएसआई आसिफ मुल्ला व मु0आ0 संग्राम सिंह गायकवाड सेण्ट्रल यूनिट

काइम ब्रांच थाणे महाराष्ट्र पुलिस टीम द्वारा अभिसूचना संकलन किया जा रहा था कि इस दौरान ज्ञात हुआ कि थाना नालासोपारा, जिला थाणे शहर, महाराष्ट्र में पंजीकृत मु0अ0सं0—271 / 2011 धारा—302 भादवि इन्दिरा नगर मैट्रो स्टेशन के नीचे मुख्यमार्ग थानाक्षेत्र गाजीपुर में मौजूद हैं, जो मेट्रो से चारबाग जाने वाला है। यदि शीघ्रता किया जाय तो पकड़ा जा सकता है। इस सूचना पर विश्वास कर एसटीएफ टीम व थाणे काइम ब्रांच कर्मियों के साथा संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुए वांछित अभियुक्त को उक्त स्थान से गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि वह दिनांक 24.05.2011 को अपनी मामी रेहाना खातून की हत्या अवैध सम्बन्धों के कारण साई द्विका चाल थाना क्षेत्र नालासोपारा में किया था, तब से गिरफ्तारी से बचने के लिए छिप-छिपाकर रह रहा था। नाला सोपारा में रहकर जरी का काम करता था। वहाँ पर इसके मामा का भी परिवार रहता था। यह पढ़ा लिखा नहीं है तथा यह मूलरूप से जनपद उन्नाव का रहने वाला है।

गिरफ्तार अभियुक्त को थाना गाजीपुर, कमिशनरेट लखनऊ में दाखिल किया गया। ट्रॉजिट रिमाण्ड एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही सेण्ट्रल यूनिट काइम ब्रांच थाणे महाराष्ट्र पुलिस द्वारा की जा रही है।
